न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 14/2026

विजयकुमार पुत्र श्री महावीर निवासी तेली मौहल्ला सावर जिला अजमेर

................प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड़ जिला अजमेर

............अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री भरत कुमार अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 दण्ड प्रकिया संहिता 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक–27.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 को सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड़ जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छुड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 को सुपुर्दगीनामें पर छोड़ने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
अजमेर

थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 27.03.2026 एवं 10.04.2026 में अवगत कराया दिनांक 17.11.2024 को मुखबीर सूचना पर पुलिस जाप्ता खिरिया चोराया पहुँचा। जहा पर गणेशपुरा जाने वाले रास्ते के पास एक ट्रक कन्टेनर नम्बर RJ-14-GN-1911 खडा मिला उक्त ट्रक को चैक किया तो ट्रक कन्टेनर नम्बर RJ-14-GN-1911 मे अवैध गोवंश ठूस ठूस कर भरे हुए मिले तथा मौके पर आस पास तलाश करने पर ट्रक कन्टेनर का चालक व अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिले उक्त कन्टेनर वाहन में अवैध गोवंश 06 बैल, 45 बछडे, 04 गाय, 03 बच्छडी जिन्दा कुल 58 नग मिले है तथा 18 मृत बछडे व एक मृत बच्छडी कुल 19 गोवंश मृत पाया गया। उक्त वाहन के चालक का यह कृत्य अपराध धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम का पाया गया। प्रकरण हाजा में जब्तशुदा वाहन के वाहन स्वामी श्री विजयकुमार से अनुसंधान किया जाकर नोटिस 133 एमवी दिया जाकर लिखित जवाब प्राप्त किया गया। जरिये मुख्त्यानामा (पॉवर ऑफ अटोर्नी) के स्वामी आरोपी नदीम पुत्र श्री दोलत जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी पूरवा फैया पली मेरठ पुलिस थाना देहली गेट मेरठ जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) द्वारा असल आरसी व असल मुख्त्यानामा पेश किया गया। उक्त वाहन के चेसिस नम्बर व इन्जन नम्बर का सही मिलान होना पाया गया। वक्त जब्ती कार्यवाही के दौरान गाड़ी की नम्बर प्लेट पर लगी नम्बर RJ-14-GN-1911 आरोपी नदीम द्वारा गलत नम्बर प्लेट लगाना तफतीश में पाया गया। आरोपी नदीम पुत्र श्री दौलत जाति मुसलमान उम्र 35 वर्ष निवासी पूरवा फैयारज अली मेरठ पुलिस थाना देहली गेट मेरठ जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ जुर्म धारा 3,5,6,8,9,10 गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु कुरता अधिनियम तथा धारा 345(3) बीएनएस का अपराध बनना साबित पाया गया है जिसमे नतीजा चार्जशीट नं0 434/24 दिनांक 30.12.2024 जुर्म धारा 3,5,6,,8,9,10 गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा धारा 345(3) बीएनएस में मुल्जिम नदीम पुत्र श्री दोलत जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी पूरवा फैयारज अली मेरठ पुलिस थाना देहली गेट मेरठ जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) के विरूद्व किता किया जा चुका है व आरोपी न्यायालय जमानत पर आजाद है। आरोपी नदीम पुत्र श्री दोलत जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी पूरवा फैयारज अली मेरठ पुलिस थाना देहली गेट मेरठ जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) न्यायालय से जमानत होने के बाद नतीजा न्यायालय में पेश करने बाबत उपस्थित नहीं होने के कारण नतीजा न्यायालय में पेश कराना शेष है आरोपी को बार बार तलब करने पर भी उपस्थित नही आ रहा है यदि प्रकरण हाजा में नतीजा न्यायालय में पेश करने से पहले मतलुब वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 को वाहन स्वामी को सुपुर्द किया जाता है तो आरोपी के न्यायालय में उपस्थित होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है अतः नतीजा न्यायालय में पेश करने तक वाहन सुपुदर्गी के आदेश नहीं किये जावे।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त गौवंश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा गौवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के

जिला कलक्टर
अजमेर

विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 तथा धारा 345 (3) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। मुल्जिमात के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। मुल्जिम नदीम पुत्र श्री दोलत जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी पूरवा फैयारज अली मेरठ पुलिस थाना देहली गेट मेरठ जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) के विरूद्व किता किया जा चुका है। आरोपी नदीम पुत्र श्री दोलत जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी पूरवा फैयारज अली मेरठ पुलिस थाना देहली गेट मेरठ जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) न्यायालय से जमानत होने के बाद नतीजा न्यायालय में पेश करने बाबत उपस्थित नहीं होने के कारण नतीजा न्यायालय में पेश करना शेष है आरोपी को बार बार तलब करने पर भी उपस्थित नही आ रहा है यदि प्रकरण हाजा में नतीजा न्यायालय में पेश करने से पहले मतलुब वाहन संख्या RJ-47-GA-4848 को वाहन स्वामी को सुपुर्द किया जाता है तो आरोपी के न्यायालय में उपस्थित होने की सभावना बिल्कुल भी नही होना थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड जिला अजमेर ने अवगत कराया गया है। लिहाजा नतीजा न्यायालय में पेश करने तक वाहन सुपुर्द किया जाना हम उचित नहीं समझते है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र अस्वीकर कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर